

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5581

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

अनिवासी भारतीयों के लिए दूरस्थ मतदान तंत्र

5581. इडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में चुनावों के लिए दूरस्थ मतदान तंत्र को लागू करने की कोई योजना है ताकि अनिवासी भारतीयों को अपने तात्कालिक स्थानों से मतदान करने की अनुमति मिल सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।
